मैनुअल-08

संकाय,परिषद,समितियों एवं अन्य संकायों का विवरण, जो दो या उससे अधिक सदस्यों से युक्त हैं या सलाह के उद्देश्य से हैं एवे उन संकायों, परिषदों, समितियों तथा अन्य संकायों के कार्यवत्त जनसामान्य के लिये खुले हैं अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवत्त जनसामान्य को प्राप्त हैं ।

1. **अखिल भारतीय विद्युतकरघा संकाय:-** इसे विकेन्द्रित विद्युतरघा क्षेत्र के समग्र विकास पर देख-रेख के लिये वस्त्र मंत्रालय क्षरा गठित किया गया है । वस्त्र आयुक्त इससंकाय के सदस्य-सचिव हैं तथा सारा सचिवीय कार्य इस कार्यालय द्वारा किया जाता है ।
2. **रूई सलाहकार बोर्ड :-** वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में इस बोर्ड का गठन किया गया है । इस बोउर् का गठन रूई की फसल, जिनिंग तथा उसकी उपलब्धता आदि को आंकने तथा सरकार को उचित सलाह देने के लिए किया गया है ।
3. **वस्त्र उभोक्ता संरक्षण कार्यान्वयन समिति :-** इस समिति का गठन वस्त्र आयुक्त द्वारा वस्त्र उपभोक्ता संरक्षण विनियमनसे संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने के लिए किया गया है ।
4. **हैंकयार्न प्राइज मॉनीटरिंग समिति :-** विकास आयुक्त (हथकरघा)} द्वारा वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति । हैंकयार्न के स्टॉक की उपलब्धता तथा मूल्य की जाँच करने के लिये, हथकरघा क्षेत्र के मूल्य कच्चे माल की जाँच करने के लिये समिति त्रैमासिक बैठकें आयोजित करती हैं ।
5. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति :-** कार्यालय में राजभाषा (हिन्दी) के प्रगामी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए गठित समिति । ऐसी समितियाँ कार्यालय स्तर, स्थ्ंान, क्षेत्र स्तर तथा राज्य स्तर पर गठित की जाती हैं ।
6. **विद्युत करघा कार्यक्रम समूह कार्यान्वयन तथा समन्वयन समिति :-** विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्तर पर, सामान्य रूप से जलाधिकारी अथवा राज्य सरकार के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में विद्युत करघा सूमह के समग्र विकास का निरीक्षण करने के लिए गठित समिति ।
7. **राज्य स्तरीय विद्युत कार्यक्रम समन्वयन समिति :-** सामान्य तथा उद्योग आयुक्त/संबंधित राज्य के सव्त्र सचिव की अध्यक्षता में राज्य के विद्युतकरघा समूहों में समान्वित विकास को आंकने एवं उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिये गठित समिति ।

उपरोक्त उल्लेखित समितियाँ तथा बोर्ड वस्त्रोद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से गठित किये गये हैं तथा इन समितियों तथा बोर्डस में लिये गये निर्णय उद्योग के विकास के लिये होते हैं तथस इनका उद्योग के समग्र विकास के उद्देश्य से नीतियों के प्रभावी उपयोग हेतु उद्योग के विभिन्न स्तरों में प्रचार-प्रसार किया जाता है । इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के उसी तरह क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के अधिकारी अन्य अभिकरणों, विशेषकर वस्त्र क्षेत्र के अभिकरणों क्षरा उनके क्षेत्र में गठित विभिन्न समितियों के सदस्य है ।